राजस्व वाद स. 134/2019
बाबुलाल आदि बनाम अमर बाई आदि
निर्णय दिनांक :– 28/03/23

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 134/2019 जी.सी.एम.एस नम्बर :– 2019/00832

1. बाबुलाल पुत्र श्री जगराम
2. औमप्रकाश पुत्र श्री जगराम
3. कंवर सिंह पुत्र जगराम
4. सन्तरा देवी पत्नी औमप्रकाश जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं।

.... वादीगण

<u>बनाम</u>

1. अमर बाई पत्नी स्व. भवंर सिंह
2. बलराज सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह
3. महीपाल सिंह पुत्र श्री भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. रिशाल देवी पत्नी मातादीन
5. धर्मवीर पुत्र श्री मातादीन
6. मंजीत पुत्र श्री मातादीन
7. भूपेन्द्र पुत्र श्री मातादीन
8. पवित्रा देवी पत्नी देवेन्द्र
9. अक्षय पुत्र श्री देवेन्द्र नवीरा मातादीन
10. मोहर सिंह पुत्र श्री गोकलराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
11. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामौतार जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
12. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
13. बैक ऑफ बडोदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबन्धक
14. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा सांवलोद जरिये शाखा प्रबन्धक
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:15 IST
Reason: SelfAttested

<u>दावा – खाता विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा</u>

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 134/2019
बाबुलाल आदि बनाम अमर बाई आदि
निर्णय दिनांक :– 28/3/23

उपस्थिति –

1. श्री राजेश कुमार यादव , अधिवक्ता – वादीगण की ओर से ।
2. सभी प्रतिवादीगण अनुपस्थित ।

–:: निर्णय ::–

28/03/23
दिनांक –[redacted]

वादी की ओर से वाद पत्र पेश किया है कि :–

1. यह कि वाके ग्राम भोपालपुरा स्थित भूमि ख.न. 38 रकबा 6.15 हैक्टर मे वादी स. 1 का 1/18 हिस्सा वादी स. 2 का 1/18 हिस्सा वादी स. 3 का 1/18 हिस्सा वादीया स. 4 का 7/180 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 1 का 7/72 हिस्सा प्रतिवादी स. 2 का 37/230 हिस्सा प्रतिवादी स. 3 का 7/54 हिस्सा प्रतिवादी स. 4 लगायत 7 का 100/1080 हिस्सा तथा प्रतिवादी स. 8 व 9 का 25/1080 हिस्सा प्रतिवादी स. 10 का 1/12 हिस्सा प्रतिवादी स. 11 का 11/108 हिस्सा प्रतिवादी स. 12 का 7/54 हिस्सा हैं प्रतिवादी स. 12 ने प्रतिवादी स. 13 से व प्रतिवादी स. 13 ने प्रतिवादी स. 14 से ऋण ले रखा हैं इसी अनुसार सभी खातेदार अपने – अपने हिस्से की भूमि पर काबिज कास्त हैं।
2. यह कि वादीगण की वाद वर्णित भूमि का खाता संयुक्त रहने से वादीगण को अपने हिस्से के रकबा मे कास्त करने मे परेशानी होती हैं साथ ही अपने हिस्से पर आने जाने के लिए रास्ता की परेशानी हैं एवं सीमाऐ कायम नही रह पाती हैं जिस कारण वादीगण के खाता संयुक्त रहने से भारी परेशानी हैं। वादीगण के कब्जा कास्त की भूमि व रास्ता के बीच प्रतिवादीगण के हिस्से का रकबा आता हैं जिस कारण प्रतिवादीगण वादीगण को उनसे हिस्से की भूमि पर कास्त करने व कास्त करने से आने जाने में बाधा कारित करते हैं इसलिए वादीगण के लिए अपने हिस्से की भूमि तक रास्ता कायम करवाना एवं अपने हिस्से की भूमि का खाता विभाजित करवाने हेतु यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं।
3. यह कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपने हिस्से की भूमि के खाता विभाजन करवाने व रास्ता कायम करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया इसलिए वादीगण के लिए अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाना व रास्ता कायम करवाना आवश्यक हुआ हैं।
4. यह कि वादीगण वाद वर्णित भूमि के संयुक्त खातेदार हैं अपने हिस्से की भूमि पर काबिज हैं तथा वादीगण का खाता संयुक्त रहने व प्रतिवादीगण द्वारा रास्ता कायम नही करने व खाता विभाजन से इन्कार करने से ण्वं वादीगण के हिस्से तक कास्त हेतु ट्रक्टर आदि ले जाने से मना करने वादीगण को उनके हिस्से की भूमि को कास्त में दखल करने से वादीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति हैं जिसका मुद्रा मे मूल्यांकन नही किया जा सकता हैं।
5. यह कि दावा के लिए आधार विवाद व[illegible] भूमि का खाता संयुक्त रहने एवं प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन [illegible] कायम करने से इन्कार करने एवं वादीगण के कब्जा का[illegible] करने से पैदा हुआ हैं

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वैसे भी इस प्रकार के दावो के लिए कानून मे कोई मियाद निर्धारित नही हैं इसलिए दावा अन्दर मियाद पेश हैं।

6. यह कि वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम भोपालपुरा में स्थित हैं जो न्यायालय श्रीमानजी के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने से यह दावा सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमानजी को प्राप्त हैं।
7. यह कि प्रतिवादी स. 1 लगायत 12 संयुक्त खातेदार हैं प्रतिवादी स. 13 व 14 से इस भूमि पर ऋण हैं प्रतिवादी स. 15 लैण्ड होल्डर हैं जो आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया हैं।
8. यह कि दावा खाता विभाजन के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस , स्थाई निषेधाज्ञा के लिए 1/–रू. कोर्ट फीस अर्थात् दावा कुल 2/–रू. कोर्ट फीस पर न्यायालय श्रीमानजी की सेवामे पेश हैं।
9. यह कि वाद वर्णित भूमि का अपडेटेड रिकॉर्ड पेश हैं एवं वाद पत्र दोहरी प्रति मे हैं जिसके समर्थन मे वादी का शपथ पत्र पेश हैं।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन हैं कि :–

क. कि वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 38 रकबा 6.15 हैक्टर मे वादीगण स. 1 के 1/18, वादी सं. 2 के 1/18, वादी सं. 3 के 1/18 हिस्सा एवं वादीया स. 4 के 7/180 हिस्सा का खाता वादीगण का एवं प्रतिवादीगण से मीट्स एण्ड बाउण्ड मे विभाजित कर प्रत्येक खातेदार के हिस्से तक रास्ता का प्रावधान करते हुये लगान अलग से कायम कर खाता विभाजित किये जाने कि कृपा करें।

ख. कि प्रतिवादीगण स. 1 लगायत 11 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 38 रकबा 6.15 हैक्टर मे वादीगण के 37/180 हिस्से के कब्जा कास्त उपयोग उपभोग में बाधा कारित नही करे वादीगण के हिस्से की भूमि तक ट्रक्टर, उँट गाड़ा , वाहन आदि को आने जाने से नही रोके ऐसा कृत्य ना स्वयं करे ना किसी अन्य से करवाये।

ग. कि दावा वादीगण विरूद प्रतिवादीगण डिक्री कर अन्य कोई अनुतोष जो सहवन से अयाचित रह गया हो वादीगण जिसके वाजिब हकदार हो प्रतिवादीगण से दिलवाये जाने कि कृपा करे।

दावा दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 से 9 व 11 से 14 बावजूद तामिल होने पर अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ दिनांक 03.01.2022 का उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई प्रति. सं. 10 की ओर से श्री अशोक यादव, अधिवक्ता– उपस्थित आये जिन्होने अपना जवाबदावा मय प्रतिदावा निम्न अभिवचनों के साथ पेश किया कि–

Signature Not Verified

1. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 1 जिस [illegible] है स्वीकार नही है विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रति. सं. 10 की खरीद शुदा भूमि है प्रतिवादी सं. 10 ने अपने हिस्सा की कृषि भूमि [illegible] खरीद किया था तभी से

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुन्झुनूं (राज.)

प्रतिवादी सं. 10 अपनी खरीद सुदा भूमि पर शान्तिपूर्वक रूप से काबिज कास्त है। विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का कदीम से बाहमी बंटवारा कर रखा है।

2. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 02 जिस भांति दर्ज है। स्वीकार नही है। प्रतिवादी सं. 10 के हिस्से कब्जे शुदा खेत के पूर्व दिशा में वादीगण का हिस्से का खेत है वादीगण अपने खेत में कास्त करने आदि के लिए वाहन ट्रैक्टर आदि जगमाल के खेत तथा प्रतिवादी सं. 10 के खेत की दक्षिणी मेड से होता हुआ जाता है। तथा खातेदार जगमाल के खेत के सहारे पश्चिम में वादी सं. 2 ओमप्रकाश का खेत है वादीगण जानबुझकर प्रतिवादी सं. 10 को हैरान परेशान करना चाहते है वादीगण प्रतिवादी सं. 10 के हिस्से के कब्जेशुदा खेत के बीच में से रास्ता लेना चाहता है। प्रतिवादी सं. 10 ने अपने खेत के पीलर गाडकर तारबन्दी कर रखी है तथा अपने खेत के दक्षिण मेड के सहारे सहारे व जगमाल के खेत के उत्तरी मेड के सहारे सहारे 6 फीट चौड़ा रास्ता छोड़ रखा है प्रतिवादी सं. 10 अकेला व्यक्ति है जिसके पास कोई सहारा नही है प्रतिवादी सं. 10 रिटायर्ड अध्यापक है वादीगण संख्या बल में अधिक है जो जानबुझकर प्रतिवादी सं. 10 के कब्जे सुदा खेत के बीच से तारबाड को ताड़कर रास्ता लेना चाहते है तथा कई बार प्रतिवादी सं. 10 की तारबाड को तोड़ देते है प्रतिवादी सं. 10 अपने कदीमी बाहमी बंटवारे हिस्से की कृषि भूमि पर काबिज कास्त है।

यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 03 गलत होने से स्वीकार नही है। प्रतिवादी सं. 10 का कदीमी कब्जे व हिस्से अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता व लगान कायम किया जावे। वादीगण को रास्ता की कोई आवश्यकता नही है क्योकि वादीगण अपने खेत में से जगमाल के खेत की उतरी मेड से होता हुआ जाता है तथा अपनी कृषि भूमि कास्त कर रहा है।

3. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 04 गलत होने से स्वीकार नही है। वादीगण को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है तथा वादीगण को रास्ता की कोई आवश्यकता नही है। वादीगण बिना किसी बाधा के जगताल के खेत की उतरी मेड व प्रतिवादी सं. 10 के खेत की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे अपने कब्जे शुदा खेत को कास्त कर रहे है। प्रतिवादी सं. 10 ने वादीगण को उक्त मेड पर से जाने को कभी नही रोका है। वादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नही है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 10 को परेशान करने व प्रतिवादी सं. 10 की भूमि पर कब्जा कर जबरन रास्ता लेने के लिये यह झूठा दावा पेश किया है।

4. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 05 गलत होने से स्वीकार नही है प्रतिवादी सं0 10 कदीमी बाहमी बंटवारे व कब्जे अनुसार खाता विभाजन करवाने को सहमत है लेकिन वादीगण ने रास्ता कायम करवाने का अनुतोष विधि अनुसार किया जाना न्यायोचित नही है। प्रतिवादी सं. 10 ने अपने कदीमी कब्जेशुदा हिस्से पर तारबन्दी कर रखी है वादीगण अपने खेत में आने [illegible] लिए अपने खेत से जगमाल के खेत में जाते है तथा जगमाल [illegible] वादी ओमप्रकाश का खेत है तथा वादी ओमप्रकाश के खेत के सहारे से [illegible] रास्ता जाता है इसलिए वादीगण को रास्ता की आवश्यकता नही है। [illegible] रास्ते से ही आवागमन कर रहे है जो प्रतिवादी सं. 10 के कब्जेशुदा हिस्से से ही आवागमन कर रहे है जो प्रतिवादी सं. 10 के कब्जेशुदा हिस्से के खेत की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

है वादीगण ने बिना किसी आधार विवाद के दावा पेश किया है जो खारीज होने योग्य है।

5. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 06 के उत्तर की आवश्यकता नही है।
6. यह कि वाद पत्र का खण्ड नं. 07 के उतर की आवश्यकता नही है।
7. यह कि वाद पत्र के खण्ड नं. 08 कम कोर्ट फीस पर पेश किया है।
8. यह कि वादी ने झूठा शपथपत्र पेश किया है।

प्रतिदावा

1. यह कि वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 2 के ख.न. 38 रकबा 6.15 है. में प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 1/12 भाग का रिकार्डेड खातेदार कास्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि का कदीम से बाहमी बंटवारा कर रखा है। वादीगण के कब्जेशुदा हिस्से के खेत के पश्चिम में प्रतिवादी सं. 10 के हिस्से व कब्जे शुदा खेत है जिस पर प्रतिवादी सं. 10 ने पीलर गाडकर तारबन्दी कर रखी है तथा प्रतिवादी सं.10 अपने हिस्से के कदीमी बाहमी बंटवारे की कृषि भूमि पर मुताबिक बाहमी बंटवारा के शान्तिपूर्वक रूप से काबिज कास्त है।
2. यह कि वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 2 के ख.न. 38 रकबा 6.15 है. में प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 1/12 भाग दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिस पर प्रतिवादी सं. 10 कदीमी बाहमी बंटवारे हिस्से के मुताबिक काबिज कास्त है विवादित वाद वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 10 का हिस्सा 1/12 भाग का कदीमी बाहमी बंटवारे व हिस्से अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता व लगान कायम किया जावे।
3. यह कि अनुतोष जो आयाचित रह गया हो जो न्यायालय श्रीमान जी उचिम समझे प्रतिवादी सं. 10 को दिलवाया जावे।
4. कि वाद हर्जा खर्चा प्रतिवादी सं. 10 को वादीगण से दिलवाया जावे।
   अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि वादीगण के वाद पत्र को मयहर्जा खर्चा खारीज फरमाया जावे।

वादीगण की ओर से प्रतिवादी सं. 10 के प्रतिदावा का जवाब पेश किया गया प्रतिवादी सं. 10 की ओर से आज कोई उपस्थित नही दावा खाता विभाजन का है इस पर वकील वादीगण ने निवेदन किया की प्रतिदावा कर्ता ने भी विभाजन चाहा है वादीगण का दावा भी विभाजन का है इसलिए दोनों पक्षों की भूमि के रास्ते का प्रावधान करते हुये प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया पक्षकारों के अभिवचनों एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया वाद वर्णित भूमि के वादीगण व प्रतिवादी सं. 10 रिकार्डेड खातेदार है दोनों ही पक्ष अपनी – अपनी भूमि का खाता विभाजन चाहते है इसलिए वादीगण व प्रतिवादी सं. 10 की भूमि का खाता विभाजन किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:15 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.)

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 134/2019
बाबुलाल आदि बनाम अमर बाई आदि
निर्णय दिनांक :– 28/3/23

दावा खाता एवं लगान विभाजन बाबत दिनांक 26.05.2022 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार बुहाना को कुर्रेजात प्रस्ताव हेतु लिखा गया। तहसीलदार बुहाना से कुर्रेजात रिपॉर्ट दिनांक 20.07.2020 को प्राप्त हुये। विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश हुई। आपत्ति वादी द्वारा जबाव प्रस्तुत किया गया। सुना गया। आपत्ति खारीज की गई।

विभाजन प्रस्ताव का ध्यान पूर्वक अवलोकन व बहस पर मनन किया गया। अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव डिक्री किया जाता है।

–: आदेश :–

न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 10 बाबत खाता विभाजन डिकी किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 38 रकबा 6.15 हैक्टर भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–3'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
जिला झुंझुनूं (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 28/3/23 .... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर बुहाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:15 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व वाद स. 134/2019
बाबुलाल आदि बनाम अमर बाई आदि
निर्णय दिनांक :– 28/3/23

मूल वाद में ~~प्राथमिक~~ अंतिम डिकी

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व वाद स. 134/2019

1. बाबुलाल पुत्र श्री जगराम
2. औमप्रकाश पुत्र श्री जगराम
3. कंवर सिंह पुत्र जगराम
4. सन्तरा देवी पत्नी औमप्रकाश जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... वादीगण

– ब ना म –

1. अमर बाई पत्नी स्व. भवंर सिंह
2. बलराज सिंह पुत्र श्री गजराज सिंह
3. महीपाल सिंह पुत्र श्री भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
4. रिशाल देवी पत्नी मातादीन
5. धर्मवीर पुत्र श्री मातादीन
6. मंजीत पुत्र श्री मातादीन
7. भूपेन्द्र पुत्र श्री मातादीन
8. पवित्रा देवी पत्नी देवेन्द्र
9. अक्षय पुत्र श्री देवेन्द्र नवीरा मातादीन
10. मोहर सिंह पुत्र श्री गोकलराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
11. विरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामौतार जाति अहीर निवासी लाम्बी अहीर तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
12. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भवंर सिंह जाति राजपूत निवासी कानसिंहपुरा तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)
13. बैक ऑफ बडोदा शाखा भिर्र जरिये शाखा प्रबन्धक
14. बड़ोदा राजस्थान क्षेत्रिय ग्रामीण बैक शाखा सांवलोद जरिये शाखा प्रबन्धक
15. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू(राज.)

.... प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:15 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद स. 134/2019
बाबुलाल आदि बनाम अमर बाई आदि
निर्णय दिनांक :– 28/3/23

दावा – खाता विभाजन , स्थाई निषेधाज्ञा

वादीगण की ओर से श्री **राजेश यादव एडवोकेट** की उपस्थिति एवं सभी प्रतिवादीगण की अनुपस्थित इस वाद में आज तारीख 28/3/23 को **सुनील कुमार चौहान उपखण्ड अधिकारी बुहाना** के समक्ष प्राथमिक निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता हैं और प्राथमिक डिकी दी जाती हैं कि –

" **न्यायालय वाद वादीगण व प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 10 बाबत खाता विभाजन डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम भोपालपुरा तहसील बुहाना स्थित भूमि ख.न. 38 रकबा 6.15 हैक्टर भूमि का मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–3" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे।** "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 28/3/23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2023.06.23 12:50:15 IST
Reason: SelfAttested